रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1702] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2016/आषाढ़ 17, 1938
No. 1702] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2016/ASADHA 17, 1938

कृषि और किसान विकास मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2016

**का.आ. 2337(अ).**—केन्द्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 3क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के तारीख 19 जुलाई, 2011 की अधिसूचना का.आ. 1663(अ) को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिंहे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों पर विश्व व्यापार संगठन समझौता और विश्व पशुधन स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता के अधीन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों के आयात को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित उपबंध करती हैं, अर्थात: :-

**1. परिभाषा- इस अधिसूचना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा विनियमित न हो-**

(क) ''एवियन इंफ्लूएंजा'' से विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता में परिभाषित किया गया है।

(ख) ''देश, मंडल और विभाग'' परिभाषित एवियन इंफ्लूएंजा अभिप्रेत से विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता में यथा परिभाषित अभिप्रेत ।

(ग) ''अधिसूचनीय योग्य एवियन इंफ्लूएंजा'' से विश्व पशु स्वास्थ संगठन के स्थलीय पशु आचार संहिता में यथा परिभाषित एवियन इंफ्लूएंजा अभिप्रेत हैं ।

(घ) ''नाशकजीव या रोग मुक्त क्षेत्रों और निम्न नाशकजीव के क्षेत्रों या रोग व्याप्ति '' से विश्व व्यापार संगठन समझौता के स्वच्छता और फाइटो स्वच्छता उपाय समझौता में यथा परिभाषित नाशकजीव या रोग मुक्त, क्षेत्र अभिप्रेत है।

(ड.) ''कुक्कुट'' से सभी घरेलू पक्षी, जिसके अंतर्गत घरेलू कुक्कुट जो, मांस उत्पादन के लिए या उपयोग के लिए अण्डे, अन्य वाणिज्यिक उत्पादों के उत्पादन के लिए, शिकार पक्षी की आपूर्ति के लिए या इन श्रेणियों के पक्षियों के प्रजनन के लिए, के साथ किसी भी उद्देश्य के उपयोग के लिए लड़ने वाले मुर्गे अभिप्रेत हैं ।

(च) "कुक्कुट उत्पादों" से खंड (ड) में परिभाषित कुक्कुट की उपज है और जिसके अंतर्गत अंडे सेना, मानव उपभोग के लिये अंडे, अंडे उत्पादों, कुक्कुट वीर्य, मांस और कुक्कुट का मांस और मांस उत्पादों, कुक्कुट का पंख और गिरे हुये पंख शामिल है, सिवाय पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन की स्थलीय पशु स्वास्थ्य संहिता के अनुसार संसाधित कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों से अभिप्रेत हें।

**2. एवियन इंफ्लूएंजा होने पर कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों का आयात-**

(1) भारत में कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों ,का आयात को एवियन इंफ्लूएंजा मुक्त देश, मंडल या विभाग से विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता के अनुसार और इस अधिसूचना के पैराग्राफ 3 की अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन आयात करने की अनुमति होगी।

(2) ऐसे देश, मंडल या विभाग की एवियन इंफ्लूएंजा प्रस्थिति निम्नलिखित शर्तों पर अवधारित होगी, अर्थात: :-

(क) एवियन इंफ्लूएंजा संपूर्ण देश में अधिसूचनीय योग्य है, एक एवियन इंफ्लूएंजा जागरूकता कार्यक्रम जारी है; और एवियन इंफ्लूएंजा की सभी अधिसूचित संदेहात्मक उपस्थिति फील्ड और जहां लागू हो, प्रयोगशाला परीक्षण की अधीन है;

(ख) कुक्कुट में चिकित्सीय लक्षणों और कुक्कुट के अलावा पक्षियों द्वारा प्रदर्शित जोखिम की अनुपस्थिति में संक्रमण की उपस्थिति के प्रदर्शन के स्थान पर उपयुक्त निगरानी, जिसका विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता के अनुसार रख रखाव के एवियन इंफ्लूएंजा निगरानी कार्यक्रम के जरिये प्राप्त किया जा सकेगा; और

(ग) एवियन इंफ्लूएंजा की सभी महामारी विज्ञान के कारकों की उपस्थिति और उनकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर विचार करना।

(घ) निर्यातक देश / मंडल / विभाग की हाल की विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की गई प्रस्थिति।

(3) विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता के अनुसार निगरानी के आधार पर किसी देश, मंडल या विभाग के एवियन इंफ्लूएंजा से मुक्त तभी विचार किया जायेगा जब यह दिखाई देगा कि कुक्कुट में एवियन इंफ्लूएंजा का संक्रमण पिछले 12 महीनों में देश, मंडल या विभाग में मौजूद नहीं है।

(4) यदि पूर्व में मुक्त देश, मंडल या विभाग में कुक्कुट में संक्रमण हुआ हे, तो एवियन इंफ्लूएंजा मुक्त प्रस्थिति पुन: प्राप्त हो सकती है,-

(क) एवियन इंफ्लूएंजा विषाणुओं के उच्च रोगजनक संक्रमण के मामले में, तीन माह पश्चात् स्टैम्पिंग-आउट नीति जिसके अंतर्गत (सभी प्रभावित स्थापनाओं के विसंक्रमण है) लागू होगी, परंतु विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थलीय आचार संहिता के उपबंधो उन तीन महीनों की अवधि के दौरान निगरानी की गई हो।

(ख) एवियन इंफ्लूएंजा विषाणुओं के निम्न रोगजनक संक्रमण के मामले में, कुक्कुट विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय आचार संहिता में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन मानव उपभोग के लिए वध के लिए रक्षित होगी या किसी एक मामले में स्टैम्पिंग-आउट नीति लागू होगी, और किसी भी स्थिति में सभी प्रभावित स्थापनाओं के

विसंक्रमण के तीन महीने के पश्चात्, परंतु विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थलीय आचार संहिता के उपबंधो के अनुसार उन तीन महीनों के अवधि के दौरान निगरानी की गई हो।

**3. जीवनाशक या रोगमुक्त क्षेत्रों और निम्न हानिकारक जीवनाशक क्षेत्रों या रोग व्याप्ति की मान्यता-**

(i) निर्यातक देश के क्षेत्र के स्वच्छता और पादप स्वच्छता गुणों का अनुकूलन और जीवनाशक या रोग मुक्त क्षेत्रों और निम्न जीवनाशक क्षेत्रों या रोग व्याप्ति का निर्धारण स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों पर विश्व व्यापार संगठन की अपेक्षाओं और केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(ii) जीवनाशक या रोग मुक्त क्षेत्रों और निम्न जीवनाशक या रोग व्याप्ति की मान्यता के लिए, निर्यातक देश का सक्षम प्राधिकरण पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में आवश्यक सबूत के साथ लिखित अनुरोध करेगा।

4. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रव्रत होगी।

[फा. सं. 109-33/2009-व्यापार]

डॉ. ए. जे. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

**(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th July, 2016

**S.O. 2337(E).—**In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 and Section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1663(E), dated the 19th July, 2011, except of respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government taking into consideration the requirements under the World Trade Organization Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures and the Terrestrial Animal Health Code of World Organization for Animal Health, hereby makes the following provisions to regulate the import of poultry and poultry products ; namely,-

**1. Definitions- In this notification, unless the context otherwise regulates-**

(a) "avian influenza" means avian influenza as defined in the Terrestrial Animal Health Code of World Organization for Animal Health.

(b) "country, zones and compartment" means the country, zones and compartments as defined in the Terrestrial Animal Health Code of World Organization for Animal Health.

(c) 'notifiable avian influenza' means avian influenza as defined in the Terrestrial Animal Health Code of World Organization for Animal Health.

(d) "pest- or disease-free areas and areas of low pest or disease prevalence" means the pest or disease free areas as defined in the World Trade Organization Agreement on Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures;

(e) "poultry" means all domesticated birds, including backyard poultry, used for the production of meat or eggs for consumption, for the production of other commercial products, for restocking supplies of game, or for breeding these categories of birds, as well as fighting cocks used for any purposes.

(f) "poultry products" means the produce of the poultry as defined in clause (e) and includes hatching eggs, eggs for human consumption, egg products, poultry semen, meat and meat products of poultry, feathers and down of poultry, except processed poultry and poultry products in accordance with the Terrestrial Animal Health Code of World Organization for Animal Health.

2. **Import of poultry and poultry products upon occurrence of avian influenza-**

(1) The import of poultry and poultry products into India shall be allowed from the country, zone or compartment free from avian influenza in accordance with the Terrestrial Animal Health Code of World Organization for Animal Health and subject to fulfilment of requirements in paragraph 3 of this notification.

(2) The avian influenza status of a country, zone or compartment shall be determined on the basis of the following criteria, namely:-

(a) Avian influenza is notifiable in the whole country; an ongoing avian influenza awareness programme is in place; and all notified suspect occurrences of avian influenza are subjected to field and, where applicable, laboratory investigations;

(b) appropriate surveillance is in place to demonstrate the presence of infection in the absence of clinical signs in poultry, and the risk posed by birds other than poultry; which may be achieved through an avian influenza surveillance programme maintained in accordance with the Terrestrial Animal Health Code of World Organization for Animal Health; and

(c) considering all epidemiological factors for avian influenza occurrence and their historical perspective.

(d) most recent status of the exporting country/ zone/ compartment as reported in World Organization for Animal Health.

(3) A country, zone or compartment may be considered free from avian influenza when it has been shown that infection with avian influenza viruses in poultry has not been present in the country, zone or compartment for the past twelve months, based on surveillance in accordance with the Terrestrial Animal Health Code of World Organization for Animal Health.

(4) If infection has occurred in poultry in a previously free country, zone or compartment, avian influenza free status can be regained,-

(a) In the case of infections with high pathogenicity avian influenza viruses, three months after a stamping-out policy (including disinfection of all affected establishments) is applied, provided that surveillance in accordance with the

provisions of the Terrestrial Code of World Organization of Animal Health has been carried out during that three-month period.

(b) In the case of infections with low pathogenicity avian influenza viruses, poultry may be kept for slaughter for human consumption subject to conditions specified in the Terrestrial Code of World Organization of Animal Health or a stamping-out policy may be applied and in either case, three months after the disinfection of all affected establishments, providing that surveillance in accordance with the Terrestrial Code has been carried out during that three-month period.

**3. Recognition of Pest or Disease-Free Areas and Areas of Low Pest or Disease Prevalence-**

(i) The adaptation to the sanitary and phytosanitary characteristics of the area of the exporting country and the determination of pest or disease free areas and areas of low pest or disease prevalence shall be made in accordance with the requirements of the World Trade Organization Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures and the guidelines issued by the Central Government.

(ii) For recognition of pest or disease free areas and areas of low pest or disease prevalence, the appropriate authority of the exporting country shall make a written request along with necessary evidence to the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in the Government of India.

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 109-33/2009-Trade]

Dr. A. J. V. PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.